भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 443

जिसका उत्तर दिनांक 07.02.2019 को दिया जाना है

परमाणु अपशिष्ट का निपटान

443. डा. आर. लक्ष्मणन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु अपशिष्ट के निपटान के लिए विशेष रूप से भूमि पर और उसके नीचे निर्मित भूमिगत संरचनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा परमाणु अपशिष्ट का निपटान करने में प्रयोग किए जाने वाली विशेष रूप से निर्मित संरचनाओं में/या उनके निकट की भूमिगत मिट्टी और पानी के नमूनों की निगरानी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से निर्मित संरचनाओं में/या उनके निकट की मिट्टी तथा पानी की गुणवत्ता तथा संदूषण की निगरानी/आकलन के काम में लगी एजेंसियों/संगठनों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) नाभिकीय सुविधाओं से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को उनकी रेडियोसक्रियता के आधार पर, विशेष रूप से निर्मित संरचनाओं जैसे, पत्थर की दीवार वाली खंदकों, रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट की खंदकों तथा टाइल होलों में भंडारित/निपटान किया जाता है । रेडियोसक्रियता का प्रभावी संरोधन सुनिश्चित करने के लिए इन संरचनाओं की डिज़ाइन बहु-अवरोध सिद्धांत पर की जाती है । ये संरचनाएं संयंत्र/सुविधा परिसर में पहुँच-नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित होती हैं ।

(ख) जिन क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटान संरचनाएं स्थित होती हैं, वहाँ सुनियोजित तरीके से बोर वैल बनाए जाते हैं । निपटान किए गए अपशिष्ट में मौजूद रेडियोसक्रियता के प्रभावी परिरोधन की पुष्टि करने के लिए इन बोर वैलों का नियमित रूप से मॉनीटरन किया जाता है । आवश्यकतानुसार नियमित मॉनीटरन किया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दिशानिर्देशों के अनुसार होता है ।

(ग) सभी नाभिकीय स्थलों पर स्थित, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) की स्वतंत्र पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं (ईएसएल) द्वारा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं में तथा उसके आस-पास के, वायु, जल,मृदा आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय आव्यूहों का मॉनीटरन किया जाता है ।

******